डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

क्रमांक आर/496/12

दिनांक 22-4-12

कार्यालय आदेश

(बी0एड0 सत्र 2009–10 एवं 2011–12 की परीक्षा से सम्बन्धित)

(सत्र 2008–09 एवं 2010–11 के छूटे हुए छात्र)

(समस्त बी0एड0 कॉलेजों के अनुपालनार्थ)

बी0एड0 सत्र 2009–10

शासन के पत्र संख्या बी0546/सत्तर–3–2011–रिट(7)/2011 दिनांक 23.12.2011 एवं शासनादेश दिनांक 26.12.2011 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ के आदेशों के क्रम में अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की शत–प्रतिशत सीटों पर बी0एड0 सत्र 2009–10 परीक्षायें कराने के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों के क्रम में परीक्षा समिति ने अपने बैठक दिनांक 10.01.2012 को प्रवेशित छात्रों की अर्हता से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण के आधार पर परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। सम्बन्धित कालेजों को इस विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या आर./194/12 दिनांक 20.01.2012 द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि निम्नलिखित विवरण के साथ प्रवेशित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करें:—–

1. प्रवेश परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
2. छात्रों से प्राप्त आवेदन–पत्रों का विवरण।
3. प्रवेश परीक्षा हेतु तैयार प्रश्नपत्रों का नमूना।
4. प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली ऐजेन्सी/संस्था का विवरण आदि।
5. प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा की तिथि।
6. प्रवेशित छात्रों के निर्गत प्रवेश पत्र की प्रतियां।
7. प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि।
8. प्रवेश परीक्षा में निर्धारित किये गये रैकिंग/अंकों का विवरण।
9. प्रवेशित छात्र सामान्य है अथवा अल्पसंख्यक इसका विवरण।

उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में अभी तक अल्पसंख्यक महाविद्यालयों द्वारा वांछित अभिलेख/विवरण/सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

क्रमश ..... (2)

बी0एड0 सत्र 2011–12

इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या बी–405/सत्तर–3–2011 दिनांक 13.10.11 एवं शासनादेश संख्या बी–84/सत्तर–3–2011 दिनांक 03.02.2012 द्वारा समस्त बी0एड0 कॉलेजों को निर्देश दिया गया था कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये बी0एड0 छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता के मानक का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उनका साप्ताहिक विवरण संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये। उपर्युक्त के दृष्टिगत महाविद्यालय के द्वारा वेबसाइट पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज होने के बाद ही परीक्षा फार्म स्वीकार किये जायें।

उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अपनी वेबसाइट पर वांछित उपस्थिति विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि "बी0एड0–2008–09 एवं 2010–11 के शेष रह गये छात्रों की परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन परीक्षा कराने का निर्णय लिया। महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित अभिलेख प्रेषित किये जायेंगे;––

1. समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन की प्रति।
2. विज्ञापन के प्रति उत्तर में प्राप्त आवेदकों के नाम तथा बी0एड0 संयुक्त परीक्षा 2008 में उनकी रैंक।
3. आवेदकों की मैरिट।
4. उपस्थिति रजिस्टर।
5. छात्र की अर्हता
6. बैंक/महाविद्यालय में छात्रों का शुल्क जमा करने की तिथि का विवरण।
7. कुल 180 दिन पाठन करने का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र के साथ।
8. लिस्ट ऑफ एप्रूव्ड टीचर्स।

समस्त बी0एड0 महाविद्यालय जो सत्र 2011–12 का कोर्स संचालित कर रहे हैं तथा अल्पसंख्यक महाविद्यालय जो सत्र 2009–10 का कोर्स संचालित कर चुके हैं उनको पुनः एक अवसर प्रदान करते हुये आदेश दिया जाता है कि शासनादेश एवं परीक्षा समिति के निर्णय के अनुपालन में उपर्युक्त अभिलेख/विवरण/सूचना इस विश्वविद्यालय को प्रभारी बी0एड0 सैल अथवा उप कुलसचिव (परीक्षा) के पास **दिनांक 27.04.2012** तक विशेष वाहक के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करा दें जिससे उनकी परीक्षायें कराने पर विचार किया जा सके।

22.4.12
(प्रभात रंजन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि––

1. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय।
2. उप–कुलसचिव (परीक्षा/प्रभारी, बी0एड0 सैल)।
3. समस्त बी0एड0 कॉलेजों को सूचनार्थ।
4. उप कुलसचिव (सम्बद्धता)।
5. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर उपर्युक्त सूचना अपलोड करने हेतु।
6. समाचार पत्र .... को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

कुलसचिव 22.4.12

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: / आर0 / 194 2012
दिनांक: 20-1- / 2012

अधिसूचना

शासन के पत्र संख्या–बी0546 / सत्तर–3–2011–रिट(7) / 2011 दिनांक 23.12.2011 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 26.12.2011 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ के पारित आदेशों के अनुपालन में शासन के निर्देशानुसार अल्पसंखयक महाविद्यालयों की बी0एड0 सत्र 2009–2010 की (100) सौ प्रतिशत सीटों के विरुद्व जो प्रवेश लिए गये है। उनकी परीक्षा कराने के आदेश हुए हैं। परीक्षा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 10.1.2012 को उक्त शासनादेश के निर्देशानुसार परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। शासन के पत्र दिनांक 23.10.2011 में प्रवेशित छात्रों की अर्हता आदि से सम्बन्धित अल्पसंखयक महाविद्यालयों से 15 दिनों में निम्न विवरण वांछित है :–

1. प्रवेश परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
2. छात्रों से प्राप्त आवेदन–पत्रों का विवरण।
3. प्रवेश परीक्षा हेतु तैयार प्रश्नपत्रों का नमूना।
4. प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली ऐजेन्सी / संस्था का विवरणादि।
5. प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा की तिथि।
6. प्रवेशित छात्रों के निर्गत प्रवेश पत्र की प्रतियां।
7. प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि।
8. प्रवेश परीक्षा में निर्धारित किये गये रैंकिंग / अंको का विवरण।
9. प्रवेशित छात्र सामान्य है, अथवा अल्पसंखक इसका विवरण।

सभी अल्पसंख्यक महाविद्यालय उपर्युक्त मानक के अनुसार अर्ह प्रवेशित छात्रों की सूची 15 दिनों में विश्वविद्यालय में जमा कर दे तथा इसके साथ उपरोक्तानुसार प्रमाणित अभिलेख भी प्रस्तुत करें और इनके परीक्षणोपरांत अर्ह छात्रों की परीक्षा हेतु तिथि आदि घोषित की जायेगी।

भवदीय

/

(प्रभात रंजन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय।
2. वित्त अधिकारी / उप / सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
3. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।
4. अधीक्षक (परीक्षा / गोपनीय / वित्त)।
5. अभिलेख खण्ड।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेवसाइट पर लोड करने हेतु।

20/1/12
उप–कुलसचिव

d.06.20.1.12.Fri

3.jpg

संख्या–बी– 84 /सत्तर–3–2011

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक 03 फरवरी, 2012

विषयः–विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये बी0एड0 छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता के मानक का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उनका साप्ताहिक विवरण संस्था की वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–बी–405/सत्तर–3–2011, दिनांक 13–10–2011 द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये गये थे कि समस्त महाविद्यालयों द्वारा बी0एड0 छात्रों की उपस्थिति का प्रति सप्ताह वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसकी सूचना सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को भी नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाये। विश्वविद्यालयों से भी यह अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने स्तर से सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु तत्काल निर्देश निर्गत करते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायें। तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय से उक्त निर्देश जारी किये जाने की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है जो खेदजनक है।

2– इस सम्बन्ध में आपका ध्यान शासनादेश संख्या–2183/सत्तर–1–97–15(3)/97, दि0 12 नवम्बर, 1997 (प्रतिलिपि संलग्न) के प्रस्तर–2(ख) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय की

परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

3— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भी बी0एड0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के लिये न्यूनतम 200 कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं जिसमें से न्यूनतम 40 दिवस शिक्षण अभ्यास एवं कौशल विकास के लिये होंगे। इसके बावजूद यह देखा जा रहा है कि संस्थाओं द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु विहित न्यूनतम कार्य दिवसों एवं छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति के मानक का अनुपालन नहीं हो रहा है जिससे इस प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है। यह खेदजनक स्थिति है और इसे शासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः समस्त विश्वविद्यालयों से पुनः अनुरोध है कि बी0एड0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के मानक का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति सप्ताह उनकी उपस्थिति का विवरण सम्बन्धित संस्थाओं की वेब—साइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

4— यह उल्लेखनीय है कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—13040/2010 कालेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन व अन्य बनाम. उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—7—2011 के अनुपालन में शासनादेश संख्या—2524/सत्तर—2—2011—18(58)/2010, दिनांक 16—8—2011 द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को यह निर्देशित किया गया है कि उनके नियंत्रणाधीन सभी संबंधित महाविद्यालयों द्वारा बी0एड0 सत्र 2011—12 में अपने महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे तथा सभी महाविद्यालय अपनी वेबसाइट प्रतिदिन अद्यावधिक रखेंगे। उपर्युक्त के दृष्टिगत महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज होने के बाद ही परीक्षा फार्म स्वीकार किये जायें।

उक्त के साथ यह भी अनुरोध है कि बी0एड0 छात्रों की शैक्षणिक एवं प्रायोगिक दिवसों की उपस्थिति महाविद्यालयों द्वारा सामान्य रजिस्टर के अतिरिक्त एक अन्य शीट पर हस्ताक्षर सहित प्राप्त किये जायें तथा इसकी बाइण्डिंग कराकर प्रमाण स्वरूप महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाय।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।